भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FC 475338

ट्रस्टडीड

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक 05.12.2019 को अम्बेडकरनगर में अरूणेश यादव पुत्र श्री बंशीराम यादव निवासी ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 जो भारत के रहने वाले है जिनको यहाँ बाद में ''सेटलर'' /अध्यक्ष भी कहा जायेगा। इस शब्दो में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादकों तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) तथा (2– अलकेश यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 '' जिनको यहाँ बाद में उपाध्यक्ष कहा जायेगा'' एक पक्ष तथा 3– श्री नीरज यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 ''जिनको यहाँ बाद

Digitally signed by PantaSign Sub CA for DSC 2022
Date: 2025.07.24 16:17:08 +05:30
Reason: reason
Location: location

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी अम्बेडकर नगर 20 NOV 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FC 475339

मे कोषाध्यक्ष कहा जायेगा 4– श्रीमती नीतू पत्नी श्री बुधिराम यादव निवासी ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 जिनको यहाँ सदस्य कहा जायेगा जो भारत के रहने वाले है। जिनको यहाँ बाद में "न्यासीगण या इस सन्दर्भ मे कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारीगण निष्पादक के अर्थ के विरूद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने को तैयार है। वर्तमान में संस्था के नाम चल अचल सम्पत्ति नही है ।

1. <u>सम्पत्ति–</u>

अ– सेटलर 11000/–ग्यारह हजार रूपया पर नगद पर स्थापना कर रहा है। भविष्य मे दान, उपहार, क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जायेगी वह न्यास की सम्पत्ति होगी। ट्रस्टी न तो बेच सकता है ओर न ही गिरवी रख सकता है तथा न ही किराये पर दे सकता है, परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नही होगा।

Amber Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी
अम्बेडकर नगर
2? NOV 2019

FC 475340

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ब– सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने का इच्छुक है।

स– न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है।

द– इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 11000/– नगद (ग्यारह हजार) रूपये की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2. <u>न्यास का नाम</u>– यह कि न्यास (ट्रस्ट) **सती प्रसाद स्मारक एजूकेशनल एवं चेरिटेबल ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा और वर्तमान मे इसका मुख्य कार्यालय ग्राम बनगाव पोस्ट बनगांव डिहवा, तहसील अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0
समय–समय पर इस न्यास (ट्रस्ट) के सार्वजनिक/परोपकारी न्यासकर्तागण द्वारा निर्णित किये गये स्थान पर होगा।

Anin Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी अम्बेडकर नगर

29 NOV 2019

FC 475341

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. **न्यास के उद्देश्य –**

1. एक स्कूल, एक इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी संस्थान, आई0टी0आई0 डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज प्रबन्धन संस्थान, कम्प्यूटर इंस्टीट्यूशन, क्लीनिक, नर्सिंग, लॉ कालेज डी.फार्मा और बी.फार्मा, बी.टी.सी., होम हास्पिटल, हेल्थ रिसर्च, हॉस्टल एण्ड रेजिडेंस, चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, धर्मशाला, पैरा मेडिकल कालेज और निजी विश्वविद्यालय किसी भी धर्मार्थ संस्थान/संगठन को आम जनता के लाभ और उपयोग के लिए भारत में कहीं भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण एवं संचालन करना।

2. उर्पयुक्त वस्तुओं के लिए किसी भी भूमि की खरीद या अधिग्रहण करना और उसके बाद निर्माण करना और भूमि और सम्पत्ति की बिक्री करना।

3. स्कूल और इंजीनियरिंग कालेज किसी भी तकनीकी संस्थान कम्प्यूटर संस्थान, क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल की स्थापना और चलाने के लिए उपकरण, सामग्री उपकरण या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने/खरीदने के लिए हेल्थ रिसोर्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, धर्मशाला, कोई भी शिक्षा और व्यावसायिक संस्थान किसी भी धर्मार्थ संस्थान/संगठन एक विश्वविद्यालय आदि।

Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

CA 087754

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. शिक्षको, प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसरों, सहायक को संलग्न नियुक्त / करने के लिए / प्रोफेसर, पाठक, प्रशिक्षक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, व्याख्याता, निदेशक, डीन, महानिदेशक सलाहकार— सलाहकार, चिकित्सक, सर्जन, नर्स, तकनीकी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, लेखा अधिकारी और कर्मचारी और सभी कर्मचारी और अच्छे नैतिक चरित्र के सेवक और कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से औद्योगिक विमानन अनुसंधान कार्य, व्यक्तिगत रूप से विकास बौद्धिक और अन्य सामान्य खोज प्रदान करने में सक्षम है।

5. पुस्तकों की खरीद, संसाधन पुस्तकालय सीखना, उपकरण बनाए रखना, दवाइयाँ, अस्पताल में दवा बिक्री या वितरण विभाग / स्वास्थ्य, निवास आदि की स्थापना करना।

6. छात्रों और संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए एक बोर्डिंग हाउस, हास्टल और आवासीय आवास को बनाए रखने और चलाने के लिए।

7. अन्य सभी काम करने के लिए अन्य कार्यों को करने के लिए और उपरोक्त वस्तुओं के लिए सभी खर्चों को उठाने के लिए।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CA 087755

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. एक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक, शारीरिक और नैतिक छात्रों के उत्थान और संस्था से जुडे लोगों के विकास के प्रति आलोचनात्मक रवैया विकसित करना ताकि उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

9. सरकार से प्राप्त ऋण या वित्त के लिए आवदेन करना। बोर्ड के न्यासी के निर्णयों के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं की सार्थकता के लिए संपत्तियों की खरीद के लिए अर्ध सरकार या निजी निकाय।

10. दान, उपहार अनुदान, उपहार, दवाओं, पुस्तकों, उपकरणों और अन्य सभी उपकरणों को नकद या किसी अन्य तरीके से भेट करना और ट्रस्ट के उदेश्यो और वस्तुओं के लिए समान व्यवहार करना।

11. ट्यूशन फीस चार्ज करने के लिए और अन्यथा स्थापित और इस विलेख के तहत स्थापित किये जाने वाले संस्थानों के रख-रखाव और गहनता में किए गये परिव्यय और खर्चों के लिए खुद को पुनः प्राप्त करें।

12. हस्तान्तरण के लिए निवेश और जमा करने के लिए और अन्यथा ट्रस्ट के अन्य मामले में इस तरह से निपटें जैसे कि ट्रस्टी डीम फिट होते हैं ताकि ट्रस्ट अपनी वस्तुओं को प्रभावी ढंग से ले जाने में सक्षम हो सके।

Arun Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 087756

13. छात्रों को प्रशिक्षित और लैस करना, ताकि एक सम्मानजनक तरीके से स्वयं का समर्थन किया जा सके, और जीवन के सभ्य तरीके का नेतृत्व किया जा सके, ताकि अच्छे, स्वस्थ्य और प्रगतिशील नागरिकों का विकास हो सके।

14. ट्रस्ट द्वारा स्थापित/स्थापित किये जाने वाले संस्थानों में छात्रों, नर्सों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए।

15. कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, संस्कृति, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, पर्यावरण, कम्प्यूटर में शोध कार्य के अवसरों को वहन करने, छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और अनुसंधान सुविधाओं को बाहर लाने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए। स्वास्थ्य देख–भाल, अतिथि और उद्योग और समाज के हित के अन्य क्षेत्र।

16. सामान्य बीमारियों के लिए टीकाकरण और अन्य निवारक उपाय करने के लिए और पत्रिकाओं के निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन, प्रबंधन और वितरण के लिए साहित्य की किताबें, अध्ययन सामग्री, पत्रक, समाचार पत्र–पत्रिकायें, पत्रिकायें, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने के लिए पर्चे। देखभाल, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 087757

17. विवेकाधीन आचरण और कानून के शासन और आत्म-संयम का पालन करने की आदत विकसित करना।

18. ट्रस्ट की वस्तुओं के प्रबन्धन और ट्रस्ट की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक तंत्र को व्यवस्थित और तैयार करना।

19. अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थानों को सहायता या निविदा सहायता प्रदान करना।

20. सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में भाग लेना। भारत सरकार/ राज्य सरकार।

21. ट्रस्ट/ट्रस्ट फंड की विषय वस्तु के साथ निवेश, निपटान, हस्तान्तरण और अन्यथा इस तरह से व्यवहार करें क्योंकि ट्रस्टी को फिट होना चाहिए ताकि उन्हें मानवता/ समाज के बड़े /समग्र लाभ मे प्रभावी ढंग से वस्तुओं को ले जाने में सक्षम बनाया जा सके और राष्ट्र का सामान्य कल्याण।

22. ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त करने के लिए आकस्मिक या आचरण के रूप में अन्य सभी चीजें करना।

Arvin Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 803651

23. यदि इन प्रस्तावों के खण्डो मे निर्दिष्ट किसी एक या अधिक वस्तु को सार्वजनिक धर्मार्थ प्रकृति की वस्तु नही माना जाता है, तो न्यासी हमारी ऐसी वस्तुओं को नहीं ले जाएंगे जैसे कि इन प्रस्तुतों मे शामिल नही है, लेकिन बनाए गए विश्वास की वैधता संस्थापक द्वारा सार्वजनिक धर्मार्थ उदेश्यों के लिए एक ट्रस्ट के रुप में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा।

न्यास के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. (क) ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर नामित उसका ज्येष्ठ और यदि कोई पुरुष सतान नही है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्र तथा उनकी सतान के जीवित न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्रम में सेटलर की शाखा के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ सतान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नही होगा।

(ख) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला व चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हो। आवश्यकता पडने नामित किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803652

(ग) मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल मे भविष्य के लिए नामित किया गया हो।

2. **कमेटी / कमेटीज** – बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) को चलाने के लिए विभिन्न कमेटियो / संस्थाओं का गठन किया जायेगा, परन्तु कमेटियों / संस्थाओं का न्यास (ट्रस्ट) का हेड (सेटलर) ही पदेन अध्यक्ष / प्रबन्धक होंगे एव उक्त कमेटियों का उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा।

अ. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यास (ट्रस्ट) की कमेटियो / संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष / प्रबन्धक को छोडकर कमेटी / संस्थाओ के सदस्यो का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है और इस दिशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

Anita Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803653

ब. न्यास (ट्रस्ट) का हेड सेटलर ही कमेटियो/संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा और जो पावर ऑफ सुपरिटेन्डस होगा, परन्तु न्यास (ट्रस्ट) के विरुद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नही किया जायेगा।

स. इस न्यास (ट्रस्ट) द्वारा संचालित सभी कमेटियो/संस्थाओं का अध्यक्ष/प्रबन्धक सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मंडल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा, जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कही व कभी भी चुनौती नही दी जा सकती है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/सेटलर–

अधिकार (i) न्यास (ट्रस्टी का मैनेजिंग ट्रस्टी /सेटलर ही अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा । न्यास ट्रस्ट का सम्पूर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी मे निहित होगा । अपने अधिकारो का प्रयोग करके समय–समय पर सचिव एंव कोषाध्यक्ष की नियुक्त पर उनको अधिकार प्रदान करेंगा, जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अध्यक्षता एंव नितिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले/निर्णय जो न्यास

Avinyadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803654

के हित मे न हो अपने विवेक से अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है। उप मैनेजिग ट्रस्टी के निर्णयों को कही व कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

(ii) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) को चलाने के लिए विभिन्न कमेटीयो/संस्थाओ का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटियों /संस्थाओ का न्यास (ट्रस्ट) का हेड (सेटलर) ही प्रदेन अध्यक्ष/प्रबंधक होगा एंव उक्त कमेटियों का उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा।

अ. – यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यास (ट्रस्ट) की कमेटीयो /संस्थाओ के पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक को छोडकर कमेटी /संस्थाओ के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटया या बढाया जा सकता है और इस दिशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

ब. न्यास (ट्रस्ट) का हेड सेटलर की कमेटियों/संस्थाओ का पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा। जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डस होगा, परन्तु न्यास (ट्रस्ट) के विरूद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।

Anil Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 803655

स. इस न्यास (ट्रस्ट) द्वारा संचालित सभी कमेटियो/संस्थाओं का अध्यक्ष/प्रबन्धक सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मण्डल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा, जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

कर्तव्यः— मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि न्यास (ट्रस्ट) का कार्य कलाप सुचारू रूप से चलता रहे। वह अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है। इस नामांकन के अधिकार को कही भी चुनौती नही दी जा सकती है।

4. **उपाध्यक्ष—** न्यास के उपाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और जिसका कार्यकाल व अधिकार समय–समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कही व कभी भी चुनौती नही दी जा सकती है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को नामौजूदगी में उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा परन्तु ऐसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।

Anita Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803656

5. **सचिव–** सचिव का कर्तव्य होगा कि न्यास (ट्रस्ट) के समस्त कागजात देखें व ट्रस्ट के कागजातों का रखरखाव करें। ट्रस्ट की बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर न्यासीगणो को सूचित करें।

6. **कोषाध्यक्ष–** वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यकलाप कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–जोखा करना, दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

7. **अन्य पदाधिकारीगण–** इनका कार्यकाल व कर्तव्य तथा अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। इनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी उनकी संख्या को बोर्ड अपनी स्वेच्छा से घटा–बढ़ा सकता है या पद समाप्त कर सकता है।

न्यास के लक्ष्य एँवं उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें:–

1. अरूणेश यादव पुत्र श्री बंशीराम यादव अर्थात सेटलर जो मैनेजिंग ट्रस्टी है व उपाध्यक्ष अलकेश यादव पुत्र श्री बाबूराम यादव को ही न्यास के नाम से बैंक खाता खोलने देख–रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे ही समय–समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध करेंगे एवं किसी भाग या उसकी आय को फिक्सड डिपाजिट

Arun Yadav

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये Rs.20
रु.20 TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 803657

करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेंगे जिसका सचालन श्री अलकेश यादव कर सकते है फिर भी यदि किन्ही परिस्थितियो मे उपर्युक्त न्यासी (सेटलर) उपलब्ध नही है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि मे श्री नीरज यादव जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, द्वारा संचालित किया जा सकता है तथा श्री अरूणेश यादव एव अलकेश यादव की अनुपस्थिति मे **सती प्रसाद स्मारक एजूकेशनल एवं चेरिटेबल ट्रस्ट** के प्रशासन एवं प्रबन्धन एवं कोष संचालन की जिम्मेदारी इनके वंशजो की होगी, जिन्हे इन दोनो के पश्चात तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा अपने जीवनकाल मे ही नांमित कर दिया जायेगा। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) के चचेरे श्री नीरज यादव एवं उनके पश्चात क्रमशः बिना नामित किये ही स्वतः न्यास के मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) हो जायेगें तथा सेटलर के सम्पूर्ण अधिकारो व कर्तव्यो का निष्ठापूर्वक निवर्हन करेगें।

2. उपर्युक्त प्राविधानों के अधीन विधिनुसार न्यासीगण न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज मे निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सिक्योरिटी को बदलने का अधिकार होगा।

Arunyadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803658

1. न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुर्ननिर्माण कराने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हो इसका उन्हे विधिक अधिकार होगा।

2. प्रबन्ध न्यासीगण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने या उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय–समय पर प्रबन्ध न्यासीगण उचित समझते हो, जिसका उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, लेखपत्र लिखने का भी अधिकार होगा, तथा समय–समय पर न्यासी (ट्रस्टी) को यह अधिकार होगा कि न्यास (ट्रस्ट) के विकास के लिए अचल सम्पत्ति क्रय करना एवं आवश्यकता पड़े तो न्यास (ट्रस्ट) की सम्पत्ति को विक्रय करने का भी अधिकार न्यासी (ट्रस्टी) को होगा।

3. न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभीषिका से बचने हेतु तथा अन्य खतरो एव नुकसानो जिसको न्यासीगण उचित समझते हो , समय–समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा, लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गई है को नुकसान पहुँचाने पर किसी भी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

Anjay Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803659

4. अचल सम्पत्ति की आय एवं लाभ मे से सभी किरायों , मूल्यो , कर तथा अन्य खर्चो का भुगतान करने के बाद बचे हुए धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझे भारी मरम्मत कराने मे उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुर्नन्रिर्माण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नव निर्माण कराने इस बीच मे इन व्यक्तियो अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार न्यासीगण का होगा।

3. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष की किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति करने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये   Rs.20

रु.20   TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   38AA 803660

4. न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा–जोखा रजिस्टर विधि अनुसार बनाये रखेगें।

5. न्यासीगण समस–समय पर उन नियमों व शर्तो पर जैसा कि उन्हे समीचीन लगता हो एक या अधिक पर्यवेक्षको, शिक्षकों, लिपिको तथा दूसरे कर्मचारियों व नौकरों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकता है।

6. न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन के उददेश्यों से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चों का पुर्नभुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट करा दिया जाता है कि कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन का लाभ का अधिकारी नही होगा।

7. समय–समय पर न्यास के लक्ष्यों, उददेश्यों, प्रशासन, प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलो के सम्बन्ध में न्यासीगण को–आडिटर आर्किटेक्ट, सर्वेयर एकाउन्टेन्ट वैल्यूयर, सालीसिटर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों

Anira Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 803661

की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय–समय पर अपने निर्वाध्य विवेक से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

8. प्रबन्ध न्यासीगण मे से किसी एक से न्यायालय, ट्रिब्यूनल प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते है।

9. इस न्यास (ट्रस्ट) से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्यास क्षेत्र अम्बेडकरनगर उ0प्र0 होगा।

10. न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसमे हुए संशोधनों का पालन करेगें।

11. न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है। इस न्यास विलेख (ट्रस्टडीड) में कुल रू0 1000/—का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

आवेदन सं०: 201900910009015

न्यास पत्र

वही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 86	वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 860 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 620

श्री अरूणेश यादव ,
पुत्र श्री बंशीराम यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: बनगांव हिडवा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 05/12/2019 एवं 04:25:07 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप निबंधक :सदर
अंबेडकर नगर
05/12/2019

अखिलेश कुमार नि०लि०
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 803662

सेटलर—

अरूणेश यादव पुत्र श्री बंशीराम यादव
निवासी ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री अरूणेश यादव	श्री बंशीराम यादव	ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0	कृषि
2.	श्री अलकेश यादव	श्री बाबूराम यादव	ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0	कृषि
3.	श्री नीरज यादव	श्री हरीराम यादव	ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0	कृषि

Arun Yadav

आवेदन सं०: 201900910009015

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 86 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अरूणेश यादव, पुत्र श्री बंशीराम यादव

निवासी: बनगांव हिडवा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

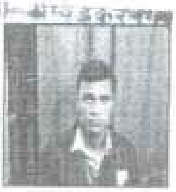

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री बृजेश कुमार , पुत्र श्री रामपूजन यादव

निवासी: रामपुर रामपट्टी अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अंकेश यादव, पुत्र श्री बंशीराम यादव

निवासी: बनगांव डिहवा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

दिनेश चन्द्र यादव
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर

अखिलेश कुमार नि०लि०
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 803663

4.	श्रीमती नीतू यादव	श्री बुधिराम यादव	ग्राम बनगांव पोस्ट बनगांव डिहवा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0	गृहणी

टाइपकर्ता–मिश्रीलाल व ड्राफ्टकर्ता–राम सिंह एडवोकेट अकबरपुर, अम्बेडकरनगर नोट- पन्ना 1 के सतर 9 में शब्द हरीराम हाथ से लिखा है।

मिश्रीलाल

Anju Yadav

05-12-2019
Ram Singh Advocate
Reg. No.-4790/1987

ह0 गवाह–1
बृजेश कुमार पुत्र रामपूजन यादव
नि0 ग्राम रामपुर रामपट्टी पो0 बरियावन
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

गवाह–2 Ankesh Yadav
अंकेश यादव पुत्र श्री बंशीराम यादव
ग्राम व पोस्ट बनगांव डिहवा,
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

आवेदन सं०: 201900910009015

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 50 के पृष्ठ 1 से 42 तक क्रमांक 86 पर
दिनाँक 05/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
05/12/2019

प्रिंट करें